दुरभाष सं0—06222—257263
Email Id-dprosheohar@gmail.com
Email Id-dm-sheohar.bih@nic.in

समाहरणालय, शिवहर

(जिला पंचायत प्रशाखा)

फैक्स नं0—06222—257288
प्र0पदा0 का नाम—विनीत कुमार
मो0 नं0—8447776129

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक—3376 दिनांक—31.08.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर प्रयुक्त अभिलेखों/कागजातों के नियमानुसार विनष्टीकरण हेतु निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जैसा है, जहाँ है, के शर्त पर रद्दी एवं पुराने कागजातों की बिक्री निविदा के द्वारा करने हेतु हेतु इच्छुक फर्म से दिनांक 05.12.2021 को 03.00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद लिफाफा में द्विलिफाफा पद्धति के माध्यम से निम्नांकित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता फर्म तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग—अलग लिफाफा तैयार कर दोनों को एक बडे लिफाफा में बंद कर जिला पंचायत कार्यालय, शिवहर में निर्धारित तिथि तक निबंधित डाक से अथवा हाथों—हाथ समर्पित कर सकते है। प्राप्त निविदा को दिनांक 05.12.2021 को 04.00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :—

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)—सह—जिला पदाधिकारी, शिवहर के नाम से निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये को बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित जमा राशि के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. रद्दी कागज के निविदा में केवल वही निविदादाता हिस्सा ले सकतें है, जो पूर्व में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों से कागज क्रय कर उसे पेपर मील में गलवाकर (Pulping) करायें हों। इस आशय का प्रमाण—पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय निविदा का शर्तें :—

1. निविदादाताओं की रद्दी कागज का प्रति क्विंटल की दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. अधिकतम दर वाले निविदादाता के निविदा को स्वीकृत किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता के द्वारा निविदा स्वीकृति के पॉच दिनों के अन्दर राशि जमा कर रद्दी कागज का उठाव करा लेना अनिवार्य होगा।
4. चयनित निविदादाता के द्वारा रद्दी काजगात को पेपर मील में गलवाकर (Pulping) प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत ही सुरक्षित जमा राशि को वापस किया जायेगा।
5. निर्धारित अवधि में रद्दी कागज को नहीं उठवाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि जप्त कर ली जायेगी और किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(ग) सामान्य शर्तें :—

1. निविदा बिना किसी कारण बताये स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. समय—सीमा के अन्दर कार्य निष्पादित नहीं किये जाने पर संबंधित व्यक्ति संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी ।
4. निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न नहीं करने पर संबंधित फर्म का एकरारनामा रद्द करते हुए द्वितीय निविदादाता को समान शर्तो के अधीन कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
5. निविदादाता को निविदा में सभी वांछित प्रमाण पत्र/कागजात का ब्योरा संलग्न करना होगा। वांछित प्रमाण पत्रों का ब्योरा संलग्न नहीं करने वाले निविदादाताओं की निविदा अमान्य होगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)
—सह—जिला पदाधिकारी,
शिवहर।